राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांक–एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/पार्ट–II   दिनांक– 15.10.2015

जिला कलेक्टर एवं जिला भामाशाह प्रबंधक,
समस्त राजस्थान।

विषयः– ई–मित्र केन्द्रों के माध्यम से भामाशाह कार्ड वितरण बाबत्।
संदंर्भः– सम संख्यक पत्र दिनांक 08.10.2015

महोदय,

संदंर्भित पत्रानुसार भामाशाह कार्डो के वितरण को गति प्रदान करने हेतु इन्हें ई–मित्र के माध्यम से वितरित करवाए जाने के निर्देश दिये गए हैं। जैसा कि विदित है वर्तमान में परिवार/व्यक्तिगत भामाशाह कार्ड प्रिंटिंग एजेंसी द्वारा सीधे ही जिला/ब्लॉक स्तर पर आपके द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी को सुपुर्द/प्रेषित किए जा रहे हैं। त्रुटिरहित भामाशाह कार्ड वितरण हेतु राज्य स्तर से समय–समय पर निर्देश प्रेषित किए जाते रहे हैं, साथ ही जिला/ब्लॉक स्तरीय कार्मिकों को कार्डो की जाँच हेतु प्रशिक्षित भी किया जाता रहा है ताकि इन कार्डो की प्रथम स्तरीय जाँच ब्लॉक स्तर पर ही करवा दी जाए। इसके बावजूद भी एक–दो जिलों में त्रुटिपूर्ण कार्ड वितरण ध्यान में आया है, जोकि उचित नहीं है।

अतः त्रुटिरहित भामाशाह कार्डो के वितरण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें:–

1. जिले में प्राप्त कार्डो की प्रथम स्तरीय जाँच ब्लॉक स्तर पर ही करवा दी जाए।
2. ई–मित्र संचालकों को भी कार्ड वितरण से पूर्व कार्ड की द्वितीय स्तर की गहन जाँच के लिए प्रशिक्षित किया जाए तथा उन्हें कार्डो में होने वाली संभावित गलतियों से अवगत कराया जाए।
3. यदि किसी परिवार द्वारा कार्ड में कोई त्रुटि बताई जाती है तो ऐसे कार्डो को वितरित नहीं किया जाए तथा इन्हें पुनः राज्य स्तरीय मुख्यालय को लौटाया जाए।
4. इस प्रक्रिया का समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा तथा एल. एस. पी. के ब्लॉक स्तरीय समन्वयकों द्वारा नियमित पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जावे ताकि आम नागरिकों को त्रुटिरहित भामाशाह कार्ड वितरित किए जा सकें।

5. यदि त्रुटिपूर्ण भामाशाह कार्ड वितरित किया जाता है तो संबंधित कार्मिक/ई–मित्र केन्द्र के विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाए।

भवदीय

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना

क्रमांक–एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/पार्ट–II दिनांक– 15.10.2015

प्रतिलिपिः–

1 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, समस्त जिला.............

2 एसीपी (उपनिदेशक), सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, समस्त जिला........

3 सहायक/उपनिदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त जिला.............

4 उपखण्ड़/विकास अधिकारी, समस्त जिला.............

(ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एंव संयुक्त शासन सचिव